न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

द्वितीय अपील संख्या–155 / 2015–16

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा कलक्टर, गढ़वाल

बनाम

श्री राकेश चन्द्र व अन्य

उपस्थित : श्री विजय कुमार ढौंडियाल, सदस्य(न्यायिक)।

अधिवक्ता अपीलार्थी / राज्य सरकार : श्री विनोद कुमार डिमरी, डी0जी0सी0(आर)।

अधिवक्ता प्रतिउत्तरदातागण : श्री नितिन वशिष्ठ।

बावत

मौजा हल्दूखाता तल्ला, पट्टी मोटाढ़ाक,
तहसील कोटद्वार, जनपद पौड़ी गढ़वाल।

निर्णय

प्रस्तुत द्वितीय अपील विद्वान अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्ड, पौडी द्वारा अपील संख्या–01 / 2008–09 अन्तर्गत धारा–331 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम राकेश चन्द्र आदि बनाम चान्द खाँ आदि में पारित निर्णयादेश दिनांक 26–10–2015 के विरूद्व योजित की गई है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रतिउत्तरदातागण द्वारा वादग्रस्त भूमि के बावत एक वाद अन्तर्गत धारा–229बी जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, कोटद्वार के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो वाद संख्या–3 / 2005–06 राकेश चन्द्र एवं अन्य बनाम चान्द खान एवं अन्य दर्ज हुआ। सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, कोटद्वार द्वारा घोषणात्मक वाद निर्णयादेश दिनांक 19–05–2009 से निरस्त किया गया। इस निर्णयादेश के विरूद्व प्रतिउत्तरदातागण राकेश चन्द्र आदि ने अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जो निर्णयादेश दिनांक 21–11–2013 से निरस्त की ग़ई। इस निर्णयादेश के पुनर्विलोकन हेतु प्रउित्तरदातागण राकेश चन्द्र आदि ने दिनांक 24–03–2015 को पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और विद्वान अपर आयुक्त ने निर्णयादेश दिनांक 26–10–2015 से अपील स्वीकार करते हुए सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, कोटद्वार का निर्णयादेश दिनांक 26–10–2015 निरस्त करते हुए वादग्रस्त भूमि पर प्रतिउत्तरदातागण राकेश चन्द्र व प्रमोद चन्द का नाम दर्ज करने व उन्हें चाँद खा पुत्र दुला खाँ के स्थान पर संकमणीय भूमिधर घोषित किये जाने के आदेश पारितै किए गए। अपर आयुक्त के निर्णयादेश दिनांक 26–10–2015 के विरूद्व यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में योजित की गई है।

मैंने उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागणों को विस्तारपूर्वक सुना एवं द्वितीय अपील पत्रावली पर रक्षित अभिलेखों तथा निर्णयादेशों का सम्यक अध्ययन किया।

अपीलार्थी राज्य सरकार की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता(राजस्व) का तर्क है कि सहायक कलेक्टर, कोटद्वार के न्यायालय में प्रतिउत्तरदाता संख्या–01 व 02 राकेश चन्द्र व अन्य बनाम चाँद खाँ व अन्य में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर घोषणात्मक वाद

योजित किया गया था और निर्णयादेश दिनांक 19–05–2009 से प्रश्नगत वाद निरस्त हुआ। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त न्यायालय में प्रथम अपील योजित की गई जो निर्णयादेश दिनांक 21–11–2013 से गुणदोष पर खारिज कर दी गई ओर 16 माह पश्चात इस निर्णयादेश के पुनर्विलोकन हेतु प्रतिउत्तरदातागण ने पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसपर निर्णयादेश दिनांक 26–10–2015 पारित करते हुए उन्हें वादग्रस्त भूमि का भूमिधर घोषित कर दिया गया। प्रथम अपील में प्रतिउत्तरदाता संख्या–01 चाँद खाँ पुत्र दुला खाँ की मृत्यु हो चुकी है जो उप जिलाधिकारी, कोटद्वार की रिपोर्ट में अंकित है इसलिए प्रथम अपील में प्रतिउत्तरदाता संख्या–01 चाँद खाँ को द्वितीय अपील में पक्षकार नहीं बनाया गया। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय की पत्रावली को तलब किये बिना ही प्रश्नगत आदेश पारित कर दिया जो विधिक रूप से त्रुटियुक्त है। प्रश्नगत वाद संख्या–03/2005–06 राकेश चन्द्र व अन्य बनाम चाँद खाँ व अन्य में उप जिला मजिस्ट्रेट, कोटद्वार द्वारा जाँच की गई थी ओर जांच रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख है कि चाँद खाँ जो वाद पत्र में प्रतिवादी संख्या–01 है उसकी मृत्यु हो चुकी है इसकी जानकारी प्रतिउत्तरदातागणों को भी है। इसके पश्चात भी उन्होंने मृतक व्यक्ति को पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाया गया और प्रथम अपीलीय न्यायालय ने आदेश दिनांक 26–10–2015 से अपील स्वीकार कर ली। पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र में प्रतिउत्तरदातागणों को कोई नोटिस आदि नहीं दिया गया। विधि अनुसार मृतक व्यक्ति के विरूद्व भूमिधरी अधिकार प्राप्त नहीं किये जा सकते इस कारण प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णयादेश दिनांक 26–10–2015 प्रथमदृष्टया ही निरस्त होने योग्य है।

प्रतिउत्तरदातागण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने पूर्व में बिना साक्ष्यों का अवलोकन किए ही अपील निरस्त कर दी थी जिसके पश्चात अपीलार्थीगण के अधिवक्ता की मृत्यु अपील के दौरान ही हो गई थी। अवर अपीलीय न्यायालय में साक्ष्यों के अवलोकन बिना ही प्रथम अपील दिनांक 21–11–2013 को निरस्त कर दी गई। नकल खतौनी में प्रतिउत्तरदातागण का नाम/कब्जा दर्ज चला आ रहा है। प्रतिउत्तरदातागण चाँद खाँ की बिना सहमति के ही 35 वर्षों से अधिक समय से वादग्रस्त भूमि पर काबिज काश्त हैं। वादग्रस्त भूमि का किसी फर्जी चाँद खाँ द्वारा दिनांक 20–02–2015 को विकय किया गया था जिसके विरूद्व उप जिलाधिकारी, कोटद्वार द्वारा जांच की गई और यह पाया गया कि चाँद खाँ नामक व्यक्ति फर्जी चाँद खाँ बनकर आये थे। अपीलार्थीगण की ओर से इस न्यायालय में चाँद खाँ का कोई मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रतिउत्तरदातागण का वादग्रस्त भूमि पर प्रतिकूल कब्जा सिद्व है जिसके आधार पर अपर आयुक्त द्वारा निर्णयादेश दिनांक 26–10–2015 पारित किया गया जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। द्वितीय अपील बिना आधार के प्रस्तुत की गई है जो निरस्त होने योग्य है।

प्रकरण में यह स्पष्ट है कि प्रतिउत्तरदातागण द्वारा वादग्रस्त भूमि के बावत एक वाद अन्तर्गत धारा–229बी जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, कोटद्वार के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो वाद संख्या–3/2005–06 राकेश चन्द्र एवं अन्य बनाम चान्द खान एवं अन्य दर्ज हुआ। सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, कोटद्वार द्वारा घोषणात्मक वाद निर्णयादेश दिनांक 19–05–2009 से निरस्त किया गया। इस निर्णयादेश के विरूद्व प्रतिउत्तरदातागण राकेश चन्द्र आदि ने अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जो निर्णयादेश दिनांक 21–11–2013 से निरस्त की गई। इस निर्णयादेश के पुनर्विलोकन हेतु प्रउित्तरदातागण राकेश चन्द्र आदि ने दिनांक 24–03–2015 को पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और विद्वान अपर आयुक्त ने निर्णयादेश दिनांक 26–10–2015 से अपील स्वीकार करते हुए सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी,

कोटद्वार का निर्णयादेश दिनांक 26–10–2015 निरस्त करते हुए वादग्रस्त भूमि पर प्रतिउत्तरदातागण राकेश चन्द्र व प्रमोद चन्द का नाम दर्ज करने व उन्हें चाँद खा पुत्र दुला खाँ के स्थान पर संक्रमणीय भूमिधर घोषित किये जाने के आदेश पारित किए गए।

प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय है कि इस न्यायालय द्वारा दिनांक 16–12–2015 को अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सम्बन्धित व्यक्ति चाँद खाँ पुत्र दुला खाँ का मृत्यु प्रमाण पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने हेतु निर्देशित किया गया था और उनके द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता(राजस्व), पौडी गढ़वाल द्वारा जिलाधिकारी, गढ़वाल को सम्बोधित प्रार्थना पत्र दिनांक 11–01–2016 के साथ चाँद खाँ पुत्र दुला खाँ के मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत की गई है परन्तु यह भी स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि कोटद्वार तहसील के अन्तर्गत स्थित है और जो मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है वह चाँद खाँ पुत्र दुला खाँ निवासी सहारनपुर का प्रस्तुत किया गया है। द्वितीय अपील के साथ उप जिलाधिकारी, कोटद्वार द्वारा जिलाधिकारी, गढ़वाल को सम्बोधित पत्र/जाँच आख्या दिनांक 20–03–2015 भी संलग्न है जिसका मैंने भली–भाँति अवलोकन किया। इस जांच आख्या में किसी फर्जी चाँद खाँ पुत्र दुल्हे खाँ द्वारा सब–रजिस्ट्रार कार्यालय में वादग्रस्त भूमि का फर्जी बैनामा दिनांक 20–02–2015 को किए जाने का उल्लेख है। इस जांच रिपोर्ट में यह स्पष्ट हुआ कि जिस फर्जी चाँद खाँ नामक व्यक्ति द्वारा प्रश्नगत बैनामा सम्पादित किए गए वह सब फर्जी चाँद खाँ थे, और विक्रय पत्र सम्पादित किए जाने हेतु जो पहचान पत्र अथवा अन्य साक्ष्य प्रस्तुत किए गए थे वे फर्जी थे परन्तु इस प्रकरण में यह स्पष्ट होता है कि प्रतिउत्तरदातागण द्वारा वादग्रस्त भूमि पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वाद योजित किया गया था और उसी कम में उनके द्वारा मूल वाद में पारित निर्णयादेश के विरूद्व प्रथम अपील योजित की गई। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने प्रतिकूल अध्यासन के आधार पर ही वाद को गुणदोष के आधार पर निर्णीत किया है जिसमें कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आलोक में प्रस्तुत द्वितीय अपील पोषणीय न होने के कारण निरस्त होने योग्य है।

आदेश

बलहीन होने के कारण द्वितीय अपील निरस्त की जाती है। पत्रावली सँचित हो।

22.1.16

(विजय कुमार ढ़ौंडियाल)
सदस्य(न्यायिक)।

आज दिनांक 22/1/16 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

22/1/16

(विजय कुमार ढ़ौंडियाल)
सदस्य(न्यायिक)।